उगमसिंह बनाम अप्रार्थी/तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहलकार की नालीश
	प्रा.पत्र 251 RTA मु.नं. 92/2023	
27.10.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सकराय पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 8 से 13, 15, 255, 260, 275 कुल किता 10 कुल रकबा 2.77 हैक्टर भूमि का प्रार्थी काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है एंव ग्राम सकराय पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 16 से 19, 23, 257 से 259, 26, 263, 274, 276, 278, 284, 29, 302, 306, 32, 34, 36 कुल किता 20 कुल रकबा 4.89 हैक्टर की खातेदारी मृत्तक खातेदार जगमालसिंह व उगम कवंर व अप्रार्थीगण के नाम से अंकित है। जिसमें खातेदार जगमालसिंह व उगम कंवर का स्वर्गवास हो चुका है। जिनके वारिसान को अप्रार्थीगण बनाया गया है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 260 व 275 में मौके पर काबिज काश्त होकर अपना ट्यूबवैल बनाकर इस भूमि में मौके पर काबिज काश्त कृषि कार्य काफी अर्सा पूर्व से करता चला आ रहा है। प्रार्थी के भूमियों में आवागमन का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी उक्त भूमियों में आवागमन के लिए लघुत्तम एंव निकटतम रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 274 में से 5 मीटर चौड़ाई का एकमात्र रास्ता जिसे नजरी नक्शें में बिन्दू संख्या ए से बी बिन्दू से दर्शित किया गया है को प्रार्थी ने उक्त आवेदित रास्ता को चाहा गया है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमियों के लगने वाला अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में किस्म गै0 मु0 रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित हैं। उक्त आवेदित रास्ते में लगने वाली भूमियों की एवज में अप्रार्थीगण को नियमानुसार डी.एल.सी. दरों से विधि द्वारा प्रा[illegible] के तहत राशि अदा करने हेतु प्रार्थी तत्पर है। प्रार्थी अपनी [illegible] काबिज काश्त की भूमि में उक्त रास्ते से आवागमन करते [illegible] रहे है तथा अपने साधनों इत्यादि को काश्त कार्य एंव कृषि उपज आदि को बाजार में लाने ले जाने हेतु काम में ले रहे है। प्रार्थी इसी रास्ते से आते जाते रहे हैं।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:47:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

अवांछित नमान भूमिकारी स्थानीयघाट

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
251 R(1) — 22/2023	

उक्त रास्ते बाबत अप्रार्थीगण को कहे जाने पर दिनांक 18.05.2023 को अप्रार्थीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता प्रार्थी की भूमि में जाने के लिए नहीं है। उक्त रास्ता ही लघुत्तम व निकटतम रास्ता है। जिसे राजस्व रिकार्ड व नक्शे मे रास्ते के रूप में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक तलब किया गया लेकिन बाद विधिवत तामील भी कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रास्ते के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपने द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव में भूमि खसरा नम्बर 274 रकबा 0.2100 हैक्टर में से 12.5 वर्गमीटर (त्रिभूजाकार में) भूमि रास्ते के लिए नजरी नक्शा में प्रस्तावित की है। प्रार्थी वर्तमान में प्रचलित डी.एल.सी. दरो सें अप्रार्थीगण को भुगतान किये जाने हेतु सहमत होना अपनी बहस में निवेदन किया है।

हमने बहस वकील प्रार्थी पर सगौर मनन किया एव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 260 व 275 में मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमियों में आवागमन का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी उक्त भूमियों में आवागमन के लिए लघुत्तम एंव निकटतम रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 274 में से तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये नजरी नक्शें में दर्शित किया गया है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी अपने निजी आराजीयात में जाने हेतु वर्तमान में अन्य कोई [illegible] ही वैकल्पिक रास्ता ही उपलब्ध होना [illegible] रास्ता ही लघुत्तम व निकटतम होना प्रकट होता है। [illegible] रास्ते हेतु वकील प्रार्थी ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्ता[illegible] किये गये रास्ता की भूमि की वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दरों की दुगुनी कीमत से राशि का भुगतान किये जाने बाबत सहमति व्यक्त करते हुए प्रार्थी को इसी अनुसार रास्ता देने हेतु सहमत होना प्रकट होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:27:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 की धारा 251 (ए) में रास्ते के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों के सम्बन्ध में एवं राज्य सरकार की किसानों को उनके कृषि जोत तक आने व जाने तथा अपने कृषि यंत्रों/साधनों को ले जाने बाबत लघुत्तम व निकटतम रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। प्रार्थीगण ने भी न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि के बदले वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दरों की दुगुनी कीमत से राशि का भुगतान किये जाने बाबत सहमति व्यक्त किये जाने बाबत अवगत कराया गया है। अतः प्रार्थी के पास इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी की जोत पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने, कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होने, जोत की सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं होकर आत्यंतिक आवश्यकता होने के कारण प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के तहत प्रार्थी द्वारा 5 मीटर चौड़ाई में चाहे गये रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:27:15 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 260 व 275 अवस्थित ग्रा

उपस्थित: न्याय अधिकारी तहसीलदार

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रा० पत्र 2:51 PM दि० नं० 27/10/2025	

ग्राम सकराय पटवार हल्का चीपलाटा तहसील श्रीमाधोपुर में आवागमन हेतु रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 274 रकबा 0.2100 हैक्टर तन ग्राम सकराय पटवार हल्का चीपलाटा में से होकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये नजरी नक्शा में दर्शितानुसार 12.5 वर्गमीटर (त्रिभुजाकार में) रास्ता जिसके बदले में रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि का वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दरों की दुगुनी कीमत से राशि का भुगतान किया जायेगा। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार रास्ते के रूप में जाने वाली भूमियों का वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दरों की दुगुनी कीमत से राशि की गणना की जाकर प्रार्थी से राजकोष में जमा ली जाकर अप्रार्थीगण को राशि का नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जावें तथा रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि खसरा नम्बर 274 में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये नजरी नक्शा में दर्शितानुसार 12.5 वर्गमीटर (त्रिभुजाकार में) रास्ता लाल स्याही से दर्शित रास्ता कायम कर रिकार्ड में दर्ज करेंगें। उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावें। चूंकि रास्ते में लगने वाली भूमियॉं बिलानाम सरकार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी से रकबा रास्ता कम करने के बाद खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा को निर्णय का भाग बनाया जाता है। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदारान् के हिस्से पर यथावत रहेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जाकर तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:27:15 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)